भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 651
(6 फ़रवरी, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

एनएसएपी के अंतर्गत पेंशन में वृद्धि

651. डॉ.एम.पी. अब्दुस्समद समदानी:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के अंतर्गत दी जाने वाली पेंशन राशि में समय पर वृद्धि किए जाने की आवश्यकता की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास संबंधित राज्य सरकार द्वारा पेंशन का समय का वितरण सुनिश्चित करने के लिए कोई निगरानी प्रणाली है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): जी, हां। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) की पेंशन योजनाओं के तहत पेंशन की राशि की समय-समय पर समीक्षा और संशोधन किया गया है। 15 अगस्त, 1995 को एनएसएपी योजनाएं लागू होने के बाद से , इसे 2000, 2007, 2009, 2011 और 2012 में संशोधित किया गया। 2007 में, "निराश्रित" के पात्रता मानदंड को बीपीएल द्वारा प्रतिस्थापित किया गया और वृद्धावस्था पेंशन के तहत सहायता की दर ₹ 75/- से बढ़ाकर ₹200/- कर दी गई। वर्ष 2011 में, 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए वृद्धावस्था सहायता को बढ़ाकर ₹ 500/- कर दिया गया। 2012 में, विधवा और विकलांग पेंशन योजनाओं के तहत सहायता की दर 40-79 वर्ष की आयु की विधवाओं और 18-79 वर्ष की आयु वर्ग के विकलांग व्यक्तियों के लिए ₹ 200/- से बढ़ाकर ₹300/- कर दी गई।

सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग चक्र (2021-26) के लिए एनएसएपी योजनाओं को जारी रखने पर विचार करते समय, योजनाओं के अंतर्गत पात्रता मानदंड और सहायता की दर में संशोधन पर भी विचार किया गया। तथापि , सरकार ने उपलब्ध वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए एनएसएपी योजनाओं को अपने वर्तमान रूप में जारी रखने के लिए अनुमोदन प्रदान किया है। तथापि, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कम से कम केंद्रीय सहायता के बराबर टॉप-अप राशि प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वर्तमान में , राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एनएसएपी की पेंशन योजनाओं के अंतर्गत 50 रुपये से लेकर 3200 रुपये प्रति माह तक की टॉप-अप राशि जोड़ रहे हैं , जिसके परिणामस्वरूप कई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एनएसएपी पेंशनभोगियों को मासिक पेंशन के रूप में औसतन 1000 रुपये मिल रहे हैं।

(ख) और (ग): एनएसएपी दिशानिर्देश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा मासिक आधार पर पेंशन के संवितरण का प्रावधान करते हैं। वर्तमान में , 27 राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र मासिक आधार पर पेंशन वितरित करते हैं , 3 राज्य, अर्थात् हिमाचल प्रदेश , उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड तिमाही आधार पर (अग्रिम) पेंशन वितरित करते हैं और 2 राज्य, अर्थात् अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड गैर-आवधिक आधार पर पेंशन वितरित करते हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से मासिक आधार पर पेंशन वितरित करने का अनुरोध किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लाभार्थियों को पेंशन का समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए , लगभग सभी राज्यों ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी)/आधार भुगतान ब्रिज (एपीबी) प्रणाली को अपनाया है और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से पेंशन का वितरण करते हैं।

*****